

क्र. सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
१) १५	बकुलाच ३५७ बहाल कर (हुकी गई) पगावली वाले हुकी कादेश दिनांक १४/१२/१५ को पेश हो	
१२/१५	बकुलाच ३५७ कोर्ट के मजबूत कार्रवाई के जमान रखते ले पगावली हुकी कादेश दिनांक ६/११/२० को पेश हो	
६ १/२०	पीगलीक अधिकारी पंचायती राज युगलों में व्यस्त हैं, पगावली वाले कादेश धारा-११ ५८ डिग्रींक ०४ १२/०२/२० को पेश हो	
१२ २/२०	वकील अभमपडा ३५० पगावली पेश हुई, हम बहस सुने कालीवस्त मुजरा जाने से हम पुनः बहस सुनना चाहते हैं। वकील अभमपडा बहस धारा-११ ५८ सुनी गई। पगावली वाले कादेश ०५/३/२० को पेश हो	
०५ ०३/२०	हमें पगावली का श्वलोकन किया, प्राथमिक पत्र प्राथमिक अन्तर्गत धारा-११ सीपीसी सर्व वसके साथ पेश राज्य प्रा. प्रा. लेखन २५७४/२०१५ अच्छे करीब करीब बनाए लक्षणानुसार वर्ग अन्तर्गत धारा १२४ स्. भू. क. १९५६ में न्यायालय द्वारा दारा पाए कि निर्णय डिग्रींक ०४/०७/२०१५ का श्वलोकन किया जिससे मह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दारा सरहद नौजा-रास-प्रथम के अक्षरा सं.	

1371, 1372, 1373 एवं 1370 का पक्षकारान के मध्य सीमांकन एवं पट्टारगढ़ी किमि जेन बाबत आदेश किमा जा चुका है उक्त निर्माण में प्रवगत प्रार्थना के प्राचीणों भी वहाँ अप्राचीणों संशोधित थे तथा हस्तगत ~~खस~~ प्रकरण में प्राचीणों द्वारा खसरा सं. 1370 के सीमांकन एवं पट्टारगढ़ी की मांग की है जबकि पूर्व आदेश प/मा/15 द्वारा खसरा सं. 1370 सहित 1371, 1372 व 1373 के संबंध में समान आदेश जारी किमा जा चुका है इस प्रकार हस्तगत प्रकरण एवं पूर्व निर्णित प्रकरण के विवादात्मक सिवात्त काराजी एवं पक्षकारान समान है अतः यह स्पष्ट है कि इस संबंध में पूर्व निर्णय 4/07/2015 को हो चुका है तथा हस्तगत प्रकरण में पट्टारगढ़ी विचारण धारा-11 CPC से बाधित है अतः प्राचीण पत्र प्राचीण अन्तर्गत धारा 11 CPC लागू नहीं होंगे एवं शर्तीकान्ति साबित होने से सीमांकन हुए प्राचीण पत्र प्राचीण धारा-128 अन्तर्गत रा. भू. अधि. 1956 खारिज किमा जाता है पत्रावली इन्जीकरिंग विगीत होकर संख्या से एक का होकर डाकिल पफल हो

300

